मुख्य न्यायिक
बाड़ी (धौलपुर)

13/2/26

आज प्रार्थी की ओर से अभि. पत्र-3 को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हैं। प्रार्थी अधिवक्ता विपक्षी के बयान दर्ज के अभाव में केवल इस आधार पर आज पेश नहीं करना गलत बताया जाते वक्त कोर्ट फीस 13/2/26 को पेश की।

डॉ. सिद्धार्थ शंकर शर्मा
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-
बाड़ी (धौलपुर)